

(1)

051-6

[Published in Part I of the "Madhya Pradesh
Rajpatra", dated the 14th August 1964.]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

FOREST DEPARTMENT

Bhopal, the 13th May 1964.

No. 5725-4184-X.—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (No. VII of 1955), the State Government hereby extends the limits of the Kanha National Park by 65.40 square kilometers towards north.

The total area of the Kanha National Park will now be 318.44 square kilometers with boundaries as defined below:—

North—A 12 meters wide northern and eastern boundary line of the Sondher Forest village, then Chaprinaala running east, then Madan nala, then line running over a ridge forming southern and eastern boundary of the compartment 650, then Jhiusa Khodri running north-east, then Sulkannadi running south, then Nigha nala running north-east, then Gorari Jhori and Ambainala running south-east over the ridge forming eastern boundary of the compartment 676, then 12 meters wide external fire line running east forming southern boundary of Kisli Bhilwani forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—A 12 meters wide external boundary line of block No. 16 excluding the village lands of Jhupul forest village (Block No. 13) and of Manoharpur, thence the district boundary line between Mandla and Balaghat districts;

South—A continuation of the district boundary line, between Mandla and Balaghat districts.

West—A continuation of the district boundary line between Mandla and Balaghat districts, thence the 12 meters wide eastern and northern boundary line of the Indri forest village, then the Ghangor nala for a distance of 1 kilometer and 86 meter then the external fire line forming the eastern boundary of Khatia village, then a 12 meters wide internal fire line for distance of 2 kilometer and 51 meters, then the tributary of Burbarinala running east for a distance of 6 hectometer thence the tributary of Mala nadi running north and then the Mala nadi running north.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

B. R. MANDAL, Secy.

(2)

२३१८

मध्यप्रदेश राजसत्र, दिनांक १६ दिसम्बर १९७०

बालाघाट जिला में—

अरन्डिया ग्राम की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् कुगाव, रामेरु, खजरा एवं कोमो ग्रामों की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् खुरसीपार ग्राम की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा।

दक्षिण—बालाघाट जिला में—

उत्तर बालाघाट बन मंडल के आरक्षित बन कम्पार्टमेन्ट नं. ११, ६८ एवं ६९ की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् समनापुर ग्राम की पश्चिमी सीमा एवं भीमलाट ग्राम की उत्तरी सीमा, तत्पश्चात् बंजर नदी, तत्पश्चात् खापा व मालखेड़ी ग्रामों की पूर्वी सीमा, तत्पश्चात् मालखेड़ी, मोहगाव, पर्वत काटेगांव एवं भिलबांनी ग्रामों की उत्तरी सीमा।

पश्चिम—बालाघाट जिला में—

उत्तर बालाघाट बन मंडल के आरक्षित कम्पार्टमेन्ट नं. १ की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् आरक्षित कम्पार्टमेन्ट नं. १ और शुलूप ग्राम की सीमा से जाती हुई रेखा, तत्पश्चात् शुलूप ग्राम की पूर्वी सीमा।

मंडला जिला में—

मंडला व बालाघाट जिलों की सीमा रेखा, तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी रेखा जो इन्द्री बनग्राम की पूर्वी और उत्तरी सीमा बनाती है, तत्पश्चात् १ किलोमीटर वं ६८ मीटर की दूरी तक घनगोर नाला, तत्पश्चात् वाहरी अग्नि रेखा जो खटिया बनग्राम की पूर्वी सीमा बनाती है; तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी आन्तरिक अग्नि रेखा जो २ किलोमीटर वं ५१ मीटर की दूरी तक चलती है, तत्पश्चात् वुरवारी नाले का सहायक नाला जो पूर्व की ओर ६ हेक्टोमीटर तक बढ़ता है, तत्पश्चात् माला नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बढ़ती है, तत्पश्चात् उत्तर की ओर बढ़ती माला नदी।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. दुवे, सचिव।

भोपाल, दिनांक २७ दिसम्बर १९७०।

क. ८८४४-८८ (२)-३०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक ८८४४-८८ (२)-३०, दिनांक १५ दिसम्बर १९७० का अन्वेषी अनुचाल राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. दुवे, सचिव;

Bhopal, the 15th December 1970.

No. 8893-X-II-70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (VII of 1955), the State Government hereby adds the reserved forest area of 128.257 square Kilometres in Balaghat Revenue district to the Schedule of the said Act constituting Kanha National Park and defines the boundaries of the said National Park as specified in the Schedule below.

Schedule

Kanha National Park—Area 446.686 square Kilometres.

North—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide Northern and Eastern boundary line of the Sondhar Forest village, then Chāpri nala running East, then Madan nala, then line running over ridge forming Southern and Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 650 of South Mandla Forest Division, then Jhiusa Khodri running North-East, then Sulkani nadi running South, then Nigha nala running North-East, then Gorari jhori and Ambai nala running South East, then line running over the ridge forming Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 676 of South Mandla Forest Division, then 12 metres wide external fire line running East forming Southern boundary of Kislibhilwani Forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide external boundary line of Block No. 15 of South Mandla Forest Division excluding the village lands of Jhapūl Forest village (Block No. 13 of South Mandla Forest Division) and of Manoharpur village, then Southern boundary of Manoharpur village.

In Balaghat Revenue District—

Southern boundary of Arandia village, then Western boundary of Kugaon, Ramepur, Khajra and Komo villages, then Western and Southern boundary of Khursipur village.

South—In Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment Nos. 144, 68 and 69 of North Balaghat Forest Division, then North-Western boundary of Samnapur village and Northern boundary of Bhimlot village, then Banjai river, then Eastern boundary of Khapa and Malkheri villages, then Northern boundary of Malkheri, Raon, Parapur, Kategaon and Bhilewani villages.

West—in Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 of North Balaghat Forest Division, then line running through boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 and Jhulup village, then Eastern boundary of Jhulup village.

In Mandla Revenue District—

Boundary line between Mandla and Balaghat Districts, then a 12 metres wide Eastern and Northern boundary line of the Indri Forest village, then the Ghangoor nala for a distance of 1 Kilometre and 86 metres, then the external fire line forming the Eastern boundary of Khatia village, then a 12 metres wide internal fire line for a distance of 2 Kilometres and 51 metres, then the tributary of Burbari nala running East for a distance of 6 hectometres, thence the tributary of Malanadi running North and then the Malanadi running North.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. DUBE, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, हारा शासन के द्वारा चलाया जाना जाता है।
भोपाल के प्रदित तथा प्रकाशित—१९७०।

त्रिलोक विभाग

भोपाल, दिनांक ३ सितंबर १९७४,

No. ४०२१-१६४३-एस-२-७४.—चूंकि राज्य शासन का
मह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनियोगित क्षेत्र,
प्रत्येक प्राप्ति तथा उसके लिये आवश्यक परिस्थिति का संरक्षण
करते, उसका विस्तार रखा, विकार करने के प्रयोगन के लिये
प्राणीजात तथा प्राणी-विज्ञान की दृष्टि री पर्याप्ति महत्व
आ है।

भरतपुर, बाइक्ल लाइसेन्स (प्रारंकक्षण) पर्वट, १९७२. (५३;
सन् १९७२), जी धारा १८ व्याधा प्रदर्शन अवित्तियों को प्रयोग
में लाते हुए, रोज्य धारणा, एसडीव्याधा, उत्तर क्षेत्र वो
धर्मशास्त्रार्थ (शेष्ठरी) के रूप में घोषित व्याधा है।

आज्ञा सामग्री

सातों राष्ट्रीय कृष्णगं क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, नीचे विनियोगकृत की गई सीमाओं में समाविष्ट होते।

बिला—बालाघाट एवं गुल्मी

अभ्यासरण्य—सप्तरवार अभ्यासरण्य

अप्रैल द्वारा एकान्तर—४५७. उरु घर में किया गया।

३८५

पर्व—बालाधाट जिले में उत्तरपूर बन ग्राम के पास से प्रारंभ होकर अलाजिला शीगा बालाधाट और राजनांदगांव जिलों के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई और चिलापुर-जबलपुर सड़क के साथ-साथ ग्राम जिले की भीमआगरी गांव तक चलती है।

जल्तर—प्राम भीमडौंगरी से कटोगीदादर रो आने वाला नाला
जोर कम्बाह मैठ नम्बर ५७५ से ५८१ के बीच कटोगी-
दादर तक उभय सीमा बनाते हुए और उसके बाद
भारतीय मैठ नम्बर ५७४ जोर ५७६ के बीच दो
उभय सीमा वाला नाला जब तक कि यह भाहीन
नाला रो प्रांत है और पिर बाहीन नाला जब तक
कि एक नाला कामडौंगरी नम्बर ५७३ जोर ५७८ के
बीच सीमा है और उसके बाद, यह नाला पूर्व
से परिष्वेत की ओर बहते हुए और टोपला आरक्षित
वन लेड जी सीमा से प्रसवते हुए और उसके बाद
टोपला आरक्षित वन लेड की उत्तरी सीमा जब तक
कि वह कादिया ग्राम प्राम के पार परिष्वेत रासफ़ल
लाइ भी आरक्षित वन होता से बिलाती है उसके बाद
परिष्वेत रासफ़ल आरक्षित वन लेड की उत्तरी सीमा
जम्म तक खड़ कहा जाता जिसे में खरपीपर प्राम
की प्राम भारतीय रासफ़ल की प्राम भी कहा जाता
जिसके हैं उसके बाद जाली जिसे में गुलबागी
बाम तक प्राम भारतीय रासफ़ल

उसके बाद लिंगा पाहूँड़ तक गोंगर भाटी आरंधत वन संड की उत्तरी ओमा, उसके बाद लिंगा पाहूँड़ पर जपर भी और आती हुई पश्चाड़ी, फिर लिंगा पाहूँड़ ते निमलता दुआ लाला जो कि बिरली प्रताप के पास लिंगा नामा से गिरता है, और फिर कम्पार्टमेन्ट नम्बर ६६४, ६७० और ६७१ के तिराहे तक लिंगा नामा, फिर कम्पार्टमेन्ट ६६३ और ६६४ की ओच की उम्मीद रीमा जब तक कि वह भाग मौहूण्य के पास देंदुआ आरंधत वन संड की उत्तरी रीमा से गिरती है, और उसके बाद देंदुआ आरंधत वन संड वी भीमा पश्चिम की ओर चारू है जब तक कि वह ग्राम कारीबाहू को पहुँचे ताले गाले से गिरती है, कम्पार्टमेन्ट नम्बर ६५४ और ६६० की ओच उपरीया वरने हुए, फिर ग्राम कारीबाहू की दीदारण

रीमा, फिर सुरपन नदी फिर कम्पार्टमेंट नम्बर ६५६ और ६५७ के बीच उभयं सीमा बनाने वाला, उसके बाद सगरिया वन ग्राम की पूरी ओर उत्तरी सीमा और फिर ग्राम बटवार तक कम्पार्टमेंट नम्बर ६५८ वी परिच्छा सीमा बनाने वाला नाला।

परिचय—प्राम बटवार की पूर्वी सीमा और फिर बटवार से छाती प्राम की पगड़ी जो कि ६३० और ६४८ की बीच कम्पाटमेन्ट लाइन बनाती है जब तक कि वह छाती नाला में पिलती है, फिर छाती नाला ६४९ और ६४५ की बीच कम्पाटमेन्ट लाइन बनाते हुए उसके द्विपादादर रेखर छद्यगाँ तक उत्तर में दक्षिण की ओर जाती हुई द्विपादादर फिरी थार्कला फिर ६३१ और ६३२ के बीच कम्पाटमेन्ट लाइन बनती हुआ द्विपादादर जाती है अब शुक्र फिर बीच स्ट्रिट गार्डी के पास लंदुखा आरप्टिहर वन भृपुर यां दीपादर गीमा में पासती है, जबके बाद दीपादर गीमा प्राम की पूर्वी सीमा जब तक कि वह काल्हा राष्ट्रीय उद्यान में गीमा की सीमा तक पिलती है। उसके बाद गीमा इन्हीं तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की भीमा चाले उसके बाद वन प्राम इन्हीं की परिचयीं गीमा द्वाटपाल नाला में किसी तक और उसके बाद बाना-धाट जिसे में झुलूप प्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की परिचयीं गीमा।

दीक्षण—शत्रुघ्नि ग्राम से मूँबढ़ी वन मार्ग तक कान्हा राष्ट्रीय
उद्यान की दीक्षण रीमा और उसके बाद ग्राम से होते हुये भैसानधाट आरक्षित वन खड़ के
दीक्षणी सीमा बनाते हुये नाला, उसके बाद भैसानधाट
आरक्षित वन सप्त बीमा बनाने वाली कटलाइ
भरदा वन मार्ग की उत्तर-पश्चिम सीमा बनाने वाले
नाले तक, फिर भैसानधाट परिसर, थर्चला तक यह
नाला चाल, फिर भैसानधाट और पश्चिम संगम
आरक्षित वन सप्त की बीच थी पश्चिम से पूर्व की
ओर जाती हुई, उत्तर रीमा जग सक वह वन मार्ग
सुखाड़ी के पार बालाधाट और राजनादिवार के बीच
में की बीच अंतर्जिता सीमा से गिरती है और फिर
भैसानधाट और राजनादिवार के बीच अंतर्जिता
सीमा पूर्व की ओर चाल भालाधाट जिथे में छह से र
वन मार्ग तक.

गम्भीर विवाद के बावजूद राज्यपाल को नीति से तभी आदेशानुसार,
भार. सी. सम्मता, उपलब्धिव.

भोपाल, दिनांक ३ अगस्त १९४८

प्र. ४०२३-१६४३-दस-२-७४।—भारत के तत्विभाजन के
उच्चेद ३५८ के लाइ (३) के अनुसार में, इस विभाग के
‘भराचना’ का ४०२३-१६४३-दस-२-७४, विभाग
प्राप्त-१६४४ का अमीर लग्नावाद संघरण के लाल भराचना
उद्दासा अकाशित विभाग होता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल को नाम से तथा भादेशग्नार,
आर. सी. सख्लेता, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4021-1648-X-2-74.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate Faunal and Zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing Wild Life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby declares the said area to be a sanctuary.

Schedule

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park:-

District—Balaghat and Mandla.

Name of Sanctuary—Sukhni Sanctuary.

Area—187.72 sq. Kilometer.

East—Starting near Chhatarpur forest village in Balaghat District the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bilaspur—Jabalpur road till village Bhundongri in Mandla District.

North—From village Bhundongri the nala coming down from Katingidadar and forming common boundary between compartment No. 578 and 581 up to Kathogidadar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Bahin nala and thereafter Bahin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578, and thereafter this nala running east to west and meeting the Topia Reserved Forest block boundary and thereafter the northern boundary of Topia Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Raigarh West block near forest village Kadhu, thereafter the northern boundary of Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the eastern boundary of Kanha National Park near village Chhurripur in Balaghat District, thereafter the eastern boundary of Kanha National Park till forest village Bhilwani in Mandla district, thereafter the continuation of the northern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till Linga Pahad, thereafter the ridge running north a top Linga Pahad, then the nala originating in Linga Pahad and meeting Nigga nala near Birla falls, and then Nigga nala till tri-junction of compartment No. 606, 670, and 671, thereafter the common boundary between compartment No. 663 and 604 till it meets the northern boundary of Tendua Reserved Forest Block near village Mohgaon, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendua Reserved Forest Block till it meets the nala flowing to village Kariwali forming the common boundary between compartment 659 and 660, thereafter the southern boundary of village Kariwali, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment 650 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Khamaria forest village, and then the nala forming western boundary of compartment 653 till village Batwar.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhopri forming compartment line between 630 and 631 till it meets Chhopri nala then Chhopri nala forming compartment line between 631 and 643 till its origin in Lingadadar, then ridge of Lingadadar running north to south, then another nala forming compartment line between 631 and 632, till it meets the southern boundary of Tendua Reserved Forest block at village Khatia Narangi, thereafter the eastern boundary of village Khatia Narangi till it meets the western boundary of Kanha National Park, thereafter the continuation of the boundary of Kanha National Park till forest village Indri, thereafter the western boundary of forest village Indri till its junction with Baghmar nala and thereafter the continuation of the western boundary of Kanha National Park in Balaghat district till village Jhulup.

South—The southern boundary of Kanha National Park from village Jhulup to forest village Mukki, and thereafter the nala forming southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest block along village Sammapur, thereafter the cut line forming boundary of the Bhaisanghat Reserved Forest block till the nala forming north-western boundary of Bharda forest village, then continuation of this nala till Bhaisanghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Bhaisanghat and Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon district near

forest village Sukhadi and thereafter the continuation eastwards of the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक ३ सितम्बर १९७४

अ. ४०२३-१६४३-वस-२-७४, वाहल्ड लाइफ (स्टेटेक्सन) एकट, १६७२ (फ. ५३, सन् १६७२), वी धारा ३६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शाकितयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, प्रतिक्रिया, नीचे दी गई अनुचिती में, विनिर्दिष्ट खेत को आखेट हेतु रक्षित स्थान (प्रैम, रिजर्व) के रूप में घोषित करता है।

अनुचिती

कामा राष्ट्रीय उद्यान तथा सुपरवार अभ्यारण्य (रेन्ट्री) के खेत को विवरित करते हुये नीचे विनिर्दिष्ट की गई शीमाओं में, सामान्य खेतः—

पिला—बोलाधाट, पठन माडला

वन्य प्राणी आरक्षित खेत—मोकल गांग रिजर्व

झेंग का रक्खा—२७३.७४ कि. मी.

शीमा

पूर्व—बालाधाट जिले में छतरपुर, वन रोप्रारभ होकर, अंतिमिला शीमा बालाधाट और राजनांदगांव जिला के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई जब तक कि वह अबलपुर-भिलासपुर मार्ग से भिलती है, उसके बाद बालाधाट और मण्डला जिलों के बीच की अंतिमिला शीमा बालाधाट जिले में भीमडोंगरी ग्राम तक।

उत्तर—आम भीमडोंगरी से आरंभ होकर हालीन नदी तक पूर्व रायगढ़ आरक्षित वन संघ की परिचयी शीमा, उसके बाद भाग आलापुरी तक भीलीखापा आरक्षित वन संघ की परिचयी शीमा फिर परिचय रायगढ़ आरक्षित वन संघ की उत्तरी एवं परिचयी शीमा जब तक कि वह गोडला ग्राम तक चोटीगा और तेन्तुआ आरक्षित वनसेंडों के बीच की उमरीगी और फिर तेन्तुआ आरक्षित वनसेंड वी उत्तरी शीमा जबलका की वह शाहपुर मार्ग के पास रुपां नदी से मिलती है, फिर मलीदापुर आरक्षित वन संघ की उत्तरी शीमा जब तक कि वह शरोती ग्राम की शीमा से मिलती है, फिर शाम कटवाही, बोलाधाटी, शीटिया, सीटियानारपी, से शीती हुई गलीदापुर आरक्षित वन की परिचयी शीमा जब तक कि वह धानधार नदी से मिलती है, फिर बालगार नाला तक वन ग्राम लूदी की परिचयी शीमा और उसके बाद ग्राम शुल्का तक गंजरखाड़ी आरक्षित वन खेत की परिचयी शीमा।

दूरीपाण—प्राप्त छातूपे रो बन्जर घाटी आरक्षित वन संड की दक्षिण रीमा जो कि बालाधाट जिला के आप बालाधाट, गोहुगांव, मालखेड़ी और थापा रो होकर जाती है और फिर मुक्की वन साम तक बन्जर नदी से होकर जाती है और फिर भैरानधाट, आरक्षित वन संड की दक्षिण रीमा जब तक कि वह बालाधाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतीजिला रीमा रो गिरती है, और पिर बालाधाट जिले से छतरपुर वन आम सब बालाधाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतीजिला रीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भार. सी. सरकार; उपराजित,
भोपाल, दिनांक ३ निसंवार १९७४।

क्र. ४०२४-१९४४-दरा-२-७४.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के संड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ४०२३-१९४४-दरा-२-७४, दिनांक ३ निसंवार १९७४ को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भार. सी. सरकार, उपराजित,

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4023-1643-X-2-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area, specified in the Schedule below, to be a game reserve:

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Stipkhar sanctuary.

Name of sanctuary	Area	Location
Malkhal Game Reserve	273.74 Sq. Kilo Meter	Balaghat and Mandla

East—Starting near Chitalpur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts till it meets Jabulpur-Bilaspur road, thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhindongri in Balaghat district.

North—Starting from village Bhindongri, the western boundary of Raigarh East Reserved Forest block up to Italon river, thereafter the western boundary of Kolikkhapa Reserved Forest block until village Bhalapuri, then the northern and western boundaries of Raigarh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondia river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block up to Bhilwara forest village and thereafter the common boundary between Chourangā and Tendua Reserved Forest Blocks up to village Khatholi and then the northern boundary of Teotila Reserved Forest block till it meets Surpan river near village Shahpur, then the northern boundary of Malidadar Reserved Forest block till it meets the boundary of Sjniya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north-east to south-west meeting the boundary of Matidadar Reserved Forest block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Matidadar Reserved Forest Block, till it meets the boundary of village Aroli, thereafter the western boundary of Malidadar Reserved Forest block running along village Kutwali, Badachhipur, Sohni, Khatholi Naraungi till it meets Chinghar river, thereafter the western boundary of forest village Ludri till Baghmar mala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhulup.

South—from village Jhulup the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kalegaon, Meligaon, Malkhedi and Klapa and then along Banjar river till forest village Mukki and thereafter the southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, up to forest village Chibatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २६ निसंवार १९७४।

क्र. ४०१५-१९४२-दरा-२-७४.—भारतीय वन अधिकारी (१) के अधीन जारी यी गई आदेशानुसार क्र. ७०५१, दिनांक २३ दिसंबर १९७१ द्वारा राज्यप्रदेश के यह धोषणी की थी। उक्त अधिकारी के उक्त भूमियों को आरक्षित वन बनाने का नियन्त्रण किया गया था और अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एस. डी. शर्मा को नियुक्त करता है।

२. चूंकि श्री एस. डी. शर्मा, स्थानांतरित हो गये हैं, असाधारण उक्त अधिनियम की भारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यप्रदेश के उक्त अधिसूचनाओं में चलिलखित भूमियों को संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एम. डी. शर्मा को नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की नाम से तथा आदेशानुसार,
भार. सी. सरकार, उपराजित,

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४।

क्र. ४४६६-१९४६-दरा-२-७४.—वोहल्ल लाहान (प्रौद्योगिकी एवं उत्तराखण्ड विभाग) के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिविहार के विषये गये क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिये अभ्यारण्य प्राप्ति करता है।

परिविहार

जिला—मंदसीर,

लाहरीला—मानारा एवं भानपुरा,

वन संड का नाम—रामपुरा गेन-पटार,

अभ्यारण्य का नाम—गांधी रामगढ़।

क्षेत्रपाल (हेक्टर में)—२२, ४६५.००।

वर्ग किलोमीटर—२२४, ६५।

सीमा

उत्तर—प्रकोष्ठ क्षमांक ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०५, ६०६, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ७१६ य ७२० यों बाहरी रीमा यों कि मध्यप्रदेश की अपरी रीमा है तथा राजस्वान् एवं गध्यप्रदेश की सम्परीक्षित है।

पूर्व—प्रकोष्ठ क्षमांक ७२०, ७२१, ७२२, ८२०, ८२१ एवं ८२७ की बाहरी रीमा।

बाद किराली एवं बीमडोगरी राजस्व ग्राम की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा जब तक आरक्षित वन खण्ड क्रमांक ७२७ एवं ७२८ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ७२७ और ७२६ की उत्तरी सीमा जब तक किसली मिलवानी वन ग्राम से मिलती है इसके बाद किसली मिलवानी वन ग्राम की पूर्वी एवं उत्तरी सीमां जब तक की आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७६ एवं ६७६ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७८ एवं ६७७ की पूर्वी सीमा जब तक नियम नाला से मिलती है, इसके बाद नियम नाला जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६४४, ६७० और ६७१ की सीमाओं के बिसांग पर मिलता है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६६३ एवं ६६४ की उभय सीमा जब हल्क आरक्षित वन कोष्ठ और तन्दुआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से मोहगांव राजस्व ग्राम के प्लास मिलती है, इसके बाद तन्दुआ आरक्षित वन खण्ड की सीमा पश्चिमी की ओर जब तक कि वह राजस्व ग्राम कारीवाहा से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७६ एवं ६६० की उभय सीमा बनता है, से मिलती है, इसके बाद राजस्व ग्राम कारीवाहा की दक्षिण सीमा फिर सरपन नदी, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६५६ और ६५७ की उभय सीमा बनाने वाला नाला फिर वन ग्राम खर्मिया की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६५२ की पश्चिमी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है.

पश्चिम—राजस्व ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर बटवार के छपरी जाने वाली पाडण्डी जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३० और ६४४ के बीच की सीमा बनती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ और ६४३ के बीच की सीमा बनता है, छपरी नाला के उदयगम स्थान लिंगादादर तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती लिंगादादर की पूर्व श्रृंखला फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ एवं ६३२ की बीच सीमा बनाने वाला दूसरा नाला जब तक आरक्षित वन खण्ड तन्दुओं की दक्षिण सीमा से खटिया नारंगी राजस्व ग्राम के पास मिलता है, इसके बाद राजस्व ग्राम खटिया नारंगी की पूर्वी सीमा जब तक आरक्षित का कोष्ठ क्रमांक ६५६ की उत्तरी सीमा से मिलती है और फिर वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ की उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर जाती हुई जब तक कि इन्द्री वन ग्राम से मिलती है, इनके बाद इन्द्री वन ग्राम की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा मण्डला एवं बालाघाट जिले की उभय सीमा बनाने वाले वाघमार नाले से मिलती है, राजस्व ग्राम झूलुम (बालाघाट जिला) तक, इसके बाद राजस्व ग्राम झूलुम और सेरेला की पूर्वी सीमा प्रसटीला ग्राम तक.

दक्षिण—राजस्व ग्राम गरण्डोला की भिलवानी कालेगाव, पूरापुर, भोगांव, मालखेड़ी की उत्तरी सीमा पूर्व की ओर जाती हुई इसके बाद राजस्व ग्राम

मालखेड़ी ओर खापा की पूर्वी सीमा जब तक कि बंजर नदी से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर बंजर नदी वन ग्राम मुक्की तक इसके बाद मेसानघाट आरक्षित वन खण्ड की दक्षिणी सीमा बनाने वाला नाला जो कि समनापुरा राजस्व ग्राम तक इसके बाद मेसानघाट आरक्षित वन खण्ड की सीमा बनाने वाली कट लालन जब तक कि नाला भारदा वन ग्राम की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाने वाले नाले तक भैयानघाट की पूर्वत श्रृंखला तक यही नाला चालू, इसके बाद आरक्षित वन खण्ड मेसानघाट एवं ग्रामगढ़ पश्चिम के बीच पश्चिम से पूर्व वही ओर जाती हुई उभय सीमा जब तक वह वन ग्राम गरवाई के पास भैयानघाट राजनांदगांव जिले के बीच की उभय ग्रीमा से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर जाती हुई बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों की अन्तर्जिला सीमा वन ग्राम छतरपुर तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २६ सितम्बर १९७६

क्र. १५-१३-७६-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक १५-१३-७६-२-दस, दिनांक २६ अगस्त १९७६ का अंग्रेजी उन्नाव राज्यपाल के प्राविकार गे एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव

Mhopal, the 29th September 1976.

No. १५-१३-७६-X(२).—Whereas in consideration of the significance of protecting, propagating, and developing wildlife and its environment, the State Government vide Forest Department Notification No. ४०२।-१६४३-X-२-७४, dated the 3rd September, 1974, had constituted, the area described in the Schedule to the said notification as Supkhar sanctuary under Section 16 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); and

Whereas the State Government is aware that the area comprising the said Supkhar Sanctuary has a high potential for development into a rich wildlife area, and that the said Sanctuary together with the Kanha National Park situated contiguous thereto constitute a wildlife tract of rare national significance, and further;

whereas the State Government is convinced that with intensive development under the Project Tiger, the area of the said Sanctuary has registered substantial improvement in the status of wildlife and that being contiguous with the Kanha National Park, the said sanctuary and the said national park from integral constituents of a single ecological unit, the preservation of which as a single unit is essential for the continued protection, propagation and development of wildlife and its environment in the tract;

Now, the reference in exercise of the powers conferred by section 55 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby adds the area of 487.72 square kilometers of the Supkhar Sanctuary to the Kanha National Park, and defines the boundaries of the said National Park, as specified in the Schedule below:—

SCHEDULE

District	Mandla and Balaghat
Name of National Park	Kanha National Park
Area	939.94 square kilometers
East - Starting near Chittarpur, so est. village in Balaghat District, the inter-district boundary running northwards between Bidaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bitaspur-Jabalpur road till village Bhimdongri in Mandla District.	
North - From Village Bhimdongri the nala coming down from Katangidadar and forming common boundary between compartment No. 575 and 581 up to Katangidadar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Balin nala and thereafter babin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578 and thereafter this nala running east to west and meeting the Topla Reserved Forest Block boundary and thereafter the northern boundary of Topla Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Raigarh West Block near Forest Village Kadai, thereafter the northern boundary of Raigarh West Forest Block till it meets the inter-district border between Balaghat and Mandla districts near village Manoharpur in Mandla district, thereafter the western and northern boundaries of village Manoharpur till it again meets the inter-district border between Mandla and Balaghat districts, thereafter the inter-district border up to revenue village Kisli in Mandla district, thereafter the southern and western boundary of Kisli and Bhimdongri village till it meets common boundary between Reserved Forest Compartment No. 727 and 728, thereafter the northern boundary of Compartment No. 727 and 726 till it meets the eastern boundary of Forest village Kisli-Bhilwani thereafter, the eastern and northern boundaries of Kisli Bhilwani Forest Village till it meets the common boundary between Compartment No. 678 and 679, and thereafter the eastern boundaries of reserved Forest Compartment Nos. 678 and 677 till it meets Nigga nala, thereafter Nigga nala till the trijunction of Compartment Nos. 664, 670, and 671, thereafter the common boundary between compartment Nos. 663 and 664 till it meets the northern boundary of Tejku Reserved Forest Block near village Mohgao, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendua Reserved Forest Block till it	

meets the nala flowing to village Kariwah, forming the common boundary between compartment Nos. 659 and 660, thereafter the southern boundary of village Kariwah, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment Nos. 656 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Kiamaria forest village and then the nala forming western boundary of compartment No. 652 till village Batwar.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhapri forming compartment line between 630 and 641 till it meets Chhapri nala then Chhapri nala forming a compartment line between 631 and 643 till its end Lingaladar then ridge of Lingaladar running north to south then another nala forming compartment line between 631 and 632 till it meets the southern boundary of Te Reserved Forest Block at village Khatia-Nurangi thereafter the eastern boundary of village Khatia-Nurangi till it meets the northern boundary of Reserved Forest Compartment No. 691 and he caste the northern boundary westward of compartment No. 691 till it meets forest village Indri, thereafter the northern and the western boundaries of forest village Indri till its junction with Baghimali nala forming inter-district border between Mandla and Balaghat districts until revenue village Jhulup in Balaghat district, then eastern boundaries of village Jhulup and Sarekhia till village Parsatofa.

South: Northern boundaries running eastwards of village Patsatila, Bhilyani, Kalgaoon, Pavapur, Moingan, Maikhedi and thereafter eastern boundaries of village Maikhedi and Kiske till it meets river Basiji, after river Basiji eastwards up to forest village Mukki, thereafter the nala forming southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block along village Samarpur, the gafté, the cut line forming boundary of the Bhaisanghat Reserved Forest Block till the nala forming no. th- western boundary of Bhada forest village, then continuation of this nala till Bhaisanghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Balanghat and Rajnandgaon Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts near forest village Sukhadhi and thereafre the continuation eastwards of the inter-districts border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Government,

Maghva - P. 200

B. SEN Dv. 50

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमति अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)



(1)

कान्हा राष्ट्रीय राजस्व विभाग (असाधारण) प्राधिकार से अकार्यात्

क्रमांक 16]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 1995—पृष्ठ 21; जून 1916

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1995

क्र. एफ. 14-46-92-द स-दो—चूंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बढ़ते वन्यप्राणियों को सुरक्षा एवं नैर्संगिक वृत्तक आवास सुनिश्चित करने साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के लाभोमुखी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्योंहेतु, कान्हा नेशनल पार्क के द्वासा पास के प्रतिरोधक कटिबंध (बफरजोन) क्षेत्रोंको फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन रखना आवश्यक है;

अतः मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-16476 (2), दिनांक 6 फरवरी 1977 के तहत अधिसूचित बफरजोन क्षेत्र, प्रोजेक्ट टायगर, कान्हा के अंतर्गत “बफरजोन वन मण्डल” के रूपमें घोषित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप 11 प्रोजेक्ट टायगर कान्हा अब “कान्हा टायगर रिजर्व” के नाम से, तथा “फील्ड डायरेक्टर” अब “कंसर्वेटर एवं फील्ड डायरेक्टर” पदनाम से, जाना जाएगा तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके प्रतिरोधक-कटिबंध (बफरजोन) का प्रशासनीय एवं क्षेत्रीय नियंत्रण उनके अधीन रहेगा।

उप वन संरक्षक प्रभारी “बफरजोन वन मण्डल” द्वारा उप वन मण्डलोंके प्रभारी सहायक वन संरक्षक होंगे।

उक्त प्रतिरोधक कटिबंधके दो प्रभारी उप-वन संरक्षकोंका पद नाम क्रमशः उपसंचालक, (बफर) एवं सहायक संचालक, बिछियात्रथा मला जब्बंडहर हैं। इहैं क्रमशः वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी के समतुल्य घोषित किया जाता है जो फारेस्ट मैनग्रल तथा फारेस्ट एवं वित्तीय शब्दों का निष्पादन करेंगे। जबकि क्षेत्रीय आदिवासी ग्रामीणोंके लाभोमुखी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्योंको वन क्षेत्रों एवं राजस्व ग्रामोंदोनोंमें उक्त प्रबंधके अंतर्गत हाथ में लिया जावेगा, बफरजोन वन मण्डल के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामोंका प्रशासनीय नियंत्रण-प्रभार, पूर्व अनुसार राजस्व प्रशासन के अधीन सुचारू रहेगा।

उक्त आदेश के तहत, पंचम (सामान्य) मण्डला, पूर्व (सामान्य) मण्डला, उत्तर (सामान्य) बालाघाट एवं कवर्धा वन मण्डलोंके वन क्षेत्रों एवं वृक्षक से मण्डला एवं बालाघाट जिलोंके राजस्व क्षेत्रोंको सम्मिलित करते हुये के बल “बफरजोन वन मण्डल” का गठन किया गया है।

“कान्हा नेशनल पार्क” जौपूर्वमें अधिसूचना क्रमांक 15-6-76 दस (2), दिनांक 29 सितम्बर 1976 के तहत अधिसूचित किया गया है, यथावत् अप्रिवत्तीय रहेगा।

(10)

32

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 1995

अनुसूची

वृत्त का नाम (1)	जिला (2)	वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (3)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) (4)	उपवन मंडल का नाम (5)	परिक्षेत्र (मुख्यालय) (6)
---------------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------

काम्हा डायगर रिजर्व	सण्डला	काम्हा नेशनल पार्क (मण्डला)	940	बंजर (असिस्टेंट डायरेक्टर बंजर) मुख्यालय किसली	1. किसली (किसली)
---------------------	--------	--------------------------------	-----	---	---------------------

2. काम्हा (काम्हा)

सदैव	बालान्धाट	तदेव	तदेव	हलोन (असिस्टेंट डायरेक्टर हलोन) मुख्यालय-बैहर	1. मुक्की (मुक्की) 2. मैलानधाट (मैलानधाट) 3. सूपखार (सूपखार)
------	-----------	------	------	--	--

तदेव	सण्डला	2. कान्हा बफर जीन वनमंडल (मलाजखंड)	1004 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)	असिस्टेंट डायरेक्टर (बिठिया)	1. खटिया (खटिया) 2. सिकोरा (सिकोरा)
------	--------	--	------------------------------------	---------------------------------	--

उप वन मंडलों की सीमाओं का विवरण

वन मण्डल की सीमाओं का विवरण

(7)

(8)

उत्तर.—पश्चिम वन मण्डल (सामान्य) एवं पूर्व वन मण्डल (सामान्य) की वन मण्डल सीमाएं.

पूर्व.—पूर्व वन मण्डल/उत्तर बालाघाट सामान्य वन मंडलों की वन मण्डल सीमाएं एवं बालाघाट की जिला सीमा.

दक्षिण.—बालाघाट जिले की जिला सीमा.

पश्चिम.—पश्चिम वन मण्डल की पूर्वी वन मण्डल सीमा.

उत्तर.—पश्चिम एवं पूर्व (सामान्य) वन मण्डलों की दक्षिणी सीमा फिर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं फिर मण्डला जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की दक्षिणी सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के पूर्व बैहर-परिक्षेत्र की उत्तर-पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट जिले की जिला सीमा फिर पश्चिम मण्डला (सामान्य) वन मण्डल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—बालाघाट जिले की उत्तरी एवं मण्डला जिले की दक्षिणी सीमाएं फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा फिर मण्डला जिले की दक्षिणी जिला लाईन.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की उत्तरीय सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के पूर्व बैहर परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट मण्डला जिले की जिला सीमाएं फिर पूर्व मण्डला (सामान्य) वन मण्डल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वन मण्डलों की पुनर्गठित सीमाएं.

पूर्व.—फेन नदी.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वन मण्डलों की पुनर्गठित सीमाएं.

पूर्व.—फेन नदी फिर कवधी (सामान्य) वन मण्डल के रेंगाखार परिक्षेत्र की सीमा फिर तरनोर नदी फिर हलोन नदी.

32(2)

मध्यप्रदेश राजपथ, दिनांक 11 जनवरी 1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
काम्हा टायगर रिजर्व	बालाघाट				3. गढ़ी (गढ़ी)

तदैव राजनांदगांव

4. चित्थी (चित्थीयों)

5. समतापुर

(सलाजखण्ड)

6. खापा (बैहर)

(13)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 1995

32 (3)

(7)

(8)

दक्षिण.—कान्हा ने शन्तल पार्क की सीमाएं एवं बालाघाट मण्डल जिलों की जिला सीमाएं.

पश्चिम.—बंजर नदी एवं पश्चिम मण्डल (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

उत्तर.—मण्डल-बालाघाट जिलों की जिला सीमाएं, कान्हा ने शन्तल पार्क की दक्षिणी सीमाएं फिर मण्डल राजनांदगांव जिलों की जिला सीमाएं.

पूर्व.—फेन नदी; कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा.

दक्षिण.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नीर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहर-मुक्की-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सङ्क.

पश्चिम.—सहायक नदी तन्नोर का अनुसरण करती हुई बंजर नदी.

दक्षिण.—कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नीर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहर-मुक्की-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सङ्क.

पश्चिम.—सहायक नदी तन्नीर का अनुसारण करती हुई बंजर नदी फिर पश्चिम मण्डल (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा धावेशानुसार,

एस. के. पंचारा, उपसचिव.

Ch 1061

14

Kanku K.P.

FROM : M. T. R. NAGLE

FAX NO. : 07642250992

Mon, 19 2008 4:21:38PM ET

Mar. 19 2008 12:38PM
Sard. Hillenius; Shree Shakibaz Ahmed (CCF Wildlife); MP

काशी चैर्य, का. बुद्ध-ब्रह्मादगी
किंविना डॉक्टर डॉर्स ऐं प्राप्त
लक्षण अनुभव अनुपरि-पथ
क्र. अमरापत-505/उक्कुम्प ली. 122 (इन. की)

122 (२५. की)

This image shows a horizontal strip of a manuscript page, likely from a book or a document. The text is written in a dense, cursive script, arranged in two columns. The ink is dark, and the paper has a slightly aged appearance.

(अमृताभूत)

नेपाल, बैष्णव, विजय 12 घनवरी 1985—मोह २१, चूर्ण १८१६, विजय

ल. पंक्ति १४-५०-९३-८-२०—नूर काल्प एवं द्वीप उद्यान के बहुत सम्प्राणियों को मुरड़ा एवं द्वीपों के बहुत सुनिश्चित रखने द्वारा ही यात्राएँ यात्रियों के द्वारा मोसुद्दी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कारोगी हैं, ताकि उन्हें यात्रा के साथ साथ यात्रा के प्रदर्शन एवं कलात्मक विवरण (गाहरणों) स्वीकृति की जाएँ। आवश्यक, ग्रेड टायगर (काला), बण्डा, लंबेवंशी एवं इत्यत्र अवश्य एवं नियंत्रण

ये विवरण एवं नियम सभी विद्यार्थी को अपनी जीवनी में लाना चाहिए।

विश्वास स्वरूप त्रिवेदी कठटयिर कान्हा ब्रह्मादायनरदिव्विद् के नाम से जया "कीरिद हापरेक्टर" अब "कंसुर्डरएवं लोस्ट डायरेक्ट" परमात्मा उन्नासाइए हुए कान्हा राष्ट्रीय चत्यान एवं उडकेप्रति दोषक-कठिवंश (भुखरज्जौन) काप्रसादकीय एवं छक्कीद निष्पत्ति उनके अधीन रहे थे।

उपर्युक्त ग्रन्थारो “वदार जीत वद मण्डल” दो उपर्युक्त शब्दों का एक दृष्टिकोण संस्कृतक है।

१८५२ वर्ष के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी विभागीयता दी गई। इसके अन्तर्गत उत्तरी भारत के लोकों की जाति विभागीयता दी गई। इसके अन्तर्गत उत्तरी भारत के लोकों की जाति विभागीयता दी गई।

क्षेत्रपर्याप्ति के साथ संगत एक विकास का अवधारणा है।

त्रिपुराके लोकों की विवेचना करने के लिए अपनी विद्यार्थी बल प्रबन्धनों के बारे में जल्दी से जानकारी लेनी चाहीए।

15

232

काशग्रहण रुचान, विभाग I : अन्धरी 1995

શાન્તિસંહાર

पुस्तक का नाम	लिखित	कृतयर्थकार योग्य (गुणवत्ता)	सेवकान् (शर्कि, दीर्घी)	उपयोग के क्रम का नाम	दिलीपी (पुस्तकस्थ)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
कामद्वा कामद्वादर दिलीप	शुभला	कामद्वाने शंख धारी (मायदगारी)	849	बुजर (अधिक्षेत्र शम्भ- विकट देवर)	1. किंवद्दी (किंवद्दी)
					2. कामद्वा (कामद्वा)
द्वारेव द्वारापादात् द्वारेव द्वारेव	द्वारेव	द्वारेव	द्वारेव	द्वारोप (मधिस्थेऽवाप- वेवदर ठनीन)	1. मुख्यी (मु- ख्यी)
				मृगालय-द्वारे	2. मैत्रालयाट (मैत्रालयाट)
					3. सूप्तवार (हृष्णवार)
चर्दू च अवला	2. कामद्वा उक्त	1004	प्रसिहट इवरेटर	1. छटिया	
		शोन वनदेवल (प्रताड्यर्थर)	(इच्छिया)	2. तिकोण (तिकोण)	

2017

ज्ञ वद मंडलों की सीधारी का विवरण

वन मंडल की सीधारी का विवरण

(७)

(८)

उत्तर.—परिवहन मण्डल (आमार) वनमंडल (आमार) की
वनमंडल सीधारी.

पूर्व.—पूर्व वनमंडल (आमार) वनमंडल की वन मंडल
सीधारी एवं वाताघाट की विज्ञा चौथा.

दक्षिण.—वाताघाट किसी विज्ञा की नहीं।

पश्चिम.—पश्चिम वन मण्डल की चूड़ी वन मण्डल चौथा।

उत्तर.—उत्तर मण्डल एवं पूर्व (आमार) वनमंडलों की वनमंडल
सीधारी विर वाताघाट (आमार) वनमंडल की चूड़ी परिवहन
(पूर्व) की विज्ञानी एवं संचारी हैं और विर वनमंडल की विज्ञानी
की विज्ञानी चौथा।

पूर्व.—सामान्दियाव विज्ञा विज्ञानी विज्ञा चौथा।

दक्षिण.—राजगांडाव विज्ञा की विज्ञा सीधारी विवर फलत आमा-
र (आमार) वनमंडल के उत्तरी विज्ञानी विज्ञा (चौथा) की
विज्ञानी चौथा। किसी विवर नहीं।

पश्चिम.—उत्तर वाताघाट (आमार) वनमंडल के उत्तर विवर-
परिवहन की उत्तर विज्ञानी सीधारी विर वाताघाट विज्ञा नहीं
जिना सीधारी विर विज्ञानी वनमंडल (आमार) वनमंडल
की चूड़ी चौथा।

उत्तर.—वाताघाट विज्ञानी विज्ञा एवं पूर्व (आमार) विज्ञानी विज्ञा
की विवर वाताघाट (आमार) वनमंडल की चूड़ी परिवहन की
दक्षिणी सीधारी विवर विज्ञानी विज्ञा चौथा।

पूर्व.—राजनन्दगांव विज्ञा की परिवहनी चौथा।

दक्षिण.—राजनन्दगांव विज्ञा की परिवहनी चौथा की विवर विवर
(आमार) वन मण्डल के उत्तरी परिवहन की उत्तर दोषी चौथा चौथा
दक्षिण नहीं।

पश्चिम.—उत्तर राजनन्दगांव (आमार) वनमंडल के पूर्व विवर विवर की
परिवहनी सीधारी विवर विवर की उत्तर दोषी चौथा चौथा
पूर्व चौथा (प्रापार) वनमंडल की पूर्व चौथा।

उत्तर.—परिवहन मण्डल एवं पूर्व मण्डल (आमार) वनमंडलों की पूर्व
गंडिल सीधारी।

पूर्व.—सेन नहीं।

उत्तर.—परिवहन मण्डल एवं पूर्व मण्डल (आमार) वनमंडलों
की पूर्वांठिठ सीधारी।

पूर्व.—फेत नहीं विवर विवर (आमार) वनमंडल के रोपाघाट
परिवहन की दीन (विवर विवर नहीं विवर विवर नहीं),

32(2)

मध्यप्रदेश राजसभा, विधान सभा, 11 अक्टूबर 1995

(1) काशी रामगढ़ी (विधायक)
काशी रामगढ़ी (विधायक)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. विधायक (विधायक)

4. विधायक (विधायक)

5. उमनाथ पुरा

(विधायक)

6. आमा (विधायक)

47

13

મધ્યબ્રાહ્મણ પત્રપત્ર, વિનાંક 21 માનદાન - 1995

三

32 (3)

{ 8 }

संक्षिप्त रूप से कहा जाना चाहिए कि यह विधि दो वर्षों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बनी है।

पुरानी भित्र स्थीता छिप उठी है जहाँ पर्यावरण की

(यामार्ग), यन्नर्थक्षम द्वे पूर्णे विकृष्ट पर्याप्तोऽत्र यो धर्मसंग्रहे
संपादा विद्या विद्युत्तमा

१०८५। यद्यपि इस अनुभाव की जाकर भिरांगि विषयों पर ध्यान

परिचय—वैज्ञानिक दृष्टि से परिचय विद्युत (वैद्युतीय) वर्तमान की दृष्टि से,

— यहाँ पर्याप्त ही संकेत एवं कार्रवाई के लिए अनुप्रयोग करना चाहिए।

जेटीर—महाराष्ट्र-कोलाहाल जिल्हे की नियंत्रण समिति, करांडा ने १५ अगस्त के दिन शिवायी संस्कार और धर्म प्रचार के लिए एक आयोजनारूप घोषणा की। यह जागरूकता दिवसीयों के लिए बना रखा गया है।

पूर्व.—केन यदी, कवर्ति (भासार्थ) धनदण्डन को रेखाधार परिक्रमा के
दुर्गतिं स्थिता।

विभिन्न विकास योगादा (कामाच) वनमंडल के मध्यी परिवेश को पुनः
गई हित संबंध। करतन्ना एकदी फिर उत्तराधि (सांख.) (कामाच)
वनमंडल के पूर्ण अंदर परिवेश को पुनर्जीवित होना किंवद्दन
मुकाद्दमा देखा गया इसका विभागीय कारण,

परिचय - यहायक तरीके द्वारा इन्हें कहते हैं कि उसकी दृश्य वंजर तेजी

मन्त्रप्रदेश द्वारा राष्ट्रविधान को नाम से है। अंतिम चालन है।

३८०. को, वंकार, इन्हें

भिरवक, मुद्दा तथा लेसन डाम्परी, सम्प्रसरण द्वारा प्रतिकृति करना चाहिए। लेसन के मुद्दिय रूप प्रस्तुत हैं— 1998

5 4-7

गांग १]

भैषज्योति राजगढ़, दिनांक २३ अक्टूबर १९९५

1137

६

७

वन विभाग

भवालय, घन्टन भवन, भीषण

भीषण, विष्णुपुर ३ अक्टूबर १९९५

शुद्धिनगर

क्र. पर्याय-३४०-१२-८०२-इन-२-इन विभाग की अधिकृतियाँ। आ. १५-१०-१२-पर्याय-२, दिनांक १० अक्टूबर १९९५ का "भैषज्योति" राजपत्र (असमीया)। क्रमांक १८, दिनांक १३ अक्टूबर १९९५ में पृष्ठ क्रमांक ३१ है पृष्ठ क्रमांक ३२ (२) तक उकाइत दूर्घट

भैषज्योति राजपत्र (असमीया) पृष्ठ ३१

पृष्ठ १२ प्रथम लाइन भी कार

भैषज्योति राजपत्र वन विभाग की अधिकृतियाँ
क्रमांक १६-१०-७६ (२), दिनांक ८ अक्टूबर
१९७७ के स्थान पर

पृष्ठ ३१ का शरा-५

तर्देह ऐप-५ इवम् गतिन्

पृष्ठ ३१ एप-५ (भीषण गति)

एवम् आदत में आए-

कालन्दा देखन्त चाक जो पूर्व में अधिकृतियाँ
क्रमांक १५-०-७६-८०(२) के स्थान पर-

पृष्ठ क्रमांक ३२ का दरा-२

प्रथम परिवर्तन
वालाधाट के सामने
कालम न-६

पृष्ठ क्रमांक ३२

(१) कालम न. ७ के अद्वितीय
(चीया दरा)

-परिवर्तन-

तर्देह- कालम न. ८ के लहर
(नहला परा) के स्थान पर

तर्देह-
(पारखा दरा)

-परिवर्तन-

कालम ६ के अद्वितीय २ में लिखित (भीषणघाट) के स्थान
पर गंगड़ी पढ़ा जाए

परिवर्तन वन मंडल के परिवार "सामान्द" जोकर पढ़ा जाए

परिवर्तन एवं दूर्द (सामान्द) वन अडलों रौ दक्षिणी चीया, चित्त
महला जिले द्वी दक्षिण-परिवर्तन चीया किंतु सातायां (सामान्द)
वन मंडल के गंगड़ी परिवर्तन (भाग) की परिवर्ती एवं दक्षिणी चीया
पढ़ा जाए

तीजटी परिवर्तन में उल्लेखित दक्षिणी चीया किंतु महला जिसे कीया
के परिवार "उक्किनी" दार्थ की विलोप भवन आवे तथा इसके स्थान
पर "टक्किण-परिवर्ती" शब्दों को जोड़कर पढ़ा जाए

[६०८७]

पृष्ठ ११३६।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक २१ फरवरी 1995

[कार्य]

पुल क्र. ३२(१) कालापन ५ पृष्ठ-

के लिए छाती वर्ष देता जाए-

मध्यप्रदेश राजपत्र पृष्ठ क्र. ३२ (२)

के लिए छाती वर्ष देता जाए-

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए छाती (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (दिनीय चेरा परिचय में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

पुल क्र. ३२(३) कालापन ५ पृष्ठ-

५ के लिए (उधार के दिक्षिण में)

दिनीय परिवहन में उच्चोंसित। किंतु तनावर नहीं खाली की गई जून
के पद पदा जाए।आगेम परिवहन भारत, १ एवं २ में उत्तिलित "गांधी राजनीतिगति"
के सामने कालापन ६ के लिए उत्तर प्रयम साइन "५-विलो (विल्टीजी)"
के साथ सुर "५-चैल्सी (चैल्सी)" सुधार कर दहा जाए।दिनीय परिवहन में भारत चाहे जल्द "तनावर" के साथ सुर "अचूकिया"
गढ़ जूनपर पढ़ा जाए।इसन पूर्व के स्थान पर "तनावर नहीं जो बजर नहीं बड़ा अनुभूति
करती है" दहा जाए।(उपर्योग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सम्प्रदाय कालापन चन दिप्रा
द्वारा पूर्व में जारी की गई एक विद्युत अधिकृतना अधिकृत
१५-१३-७६-१० (२), दिनांक २९ फरवरी, १९७६, अधिकृतना अधिकृत
१४-६१-७६-२८ (२), दिनांक २६ फरवरी, १९७७ से दिये गये उत्तर
विद्युतों के अनुकार हैं।

भोपाल, दिनांक ७ जुलाई 1995

Controller & Field Director

Kashia Tiger Recovery Project, ३०-५६-९३-द८-३-सौन्दर्य—मध्यप्रदेश कालापन (विनियोग) अधिनियम, १९८५ (दिनांक १३, जून १९८५)
मानुष, ४३-६६, ६८, ८५ की उपलब्ध (१) द्वारा उत्तर प्रदेश को चुनाव में लाते हुए, राज्य सरकार एवं द्वारा "मध्यप्रदेश राजनव (असाधारण)"
दिनांक २३ फरवरी, १९९५ ने एकांशिक इस्तेजी भाग की हिन्दी अधिकृतना क्रमांक एफ. ३०-५६-९३-द८-३, दिनांक २३ फरवरी
१९९५ ये नियन्त्रित रूपीधृत करती है।

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

क्रमांक, एफ. ३०-५६-९३-१०-३,

दिनांक २३ फरवरी, १९९५ का पृष्ठ

(१)

१२६ (१) में कालापन (३) के अनुक्रमक १०, जिला इन्डोर-

१२६ (२) में कालापन ३ के अनुक्रमक ११ दिला धार।

अधिकृतना वे प्रकाशित नाम

प्रारंभ चाल

(२)

विलोट चुर्द

कानपत्र

विलोट

भाकरी

एडलूना

घाट विलोद

हिलोर लू

कानपत्र

विलोट

माल्हो

एकलूना

घाट विलोद

7 ८८ ७

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन
कोपल, दिनांक / / २५।।।

F 25/13510/3/2020

क्रमांक

इस दिनांक की अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-46-92-दस दो दिनांक 10-01-1995 तथा क्रमांक एफ. 14-45-92-दस-दो दिनांक 04-07-1995 हरा कान्चा राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिरक्षक कठिकड़ (एफर जोन) क्षेत्रों को फैल्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्चा) मण्डल एकीकृत प्रबन्धन एवं नियंत्रण में रखा गया था, तथा उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा इसे प्रोजेक्ट टायगर (कान्चा) के अंतर्गत वफर जोन मण्डल के लघु औषधिक वर्ष के अधिसूचित किया गया था।

दिनांक 01-11-2000 से छतीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप बफर जोन वन मण्डल के कवर्चा जिले का क्षेत्र जो दि. छतीसगढ़ राज्य के अंतर्गत होगा, का नियंत्रण पुनर्गठन के कान्चनपुर एवं सीमांत झुन्हुरी में विनियोगित सीमाएँ अनुसूचि दी जाती है। छतीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप 'कान्चा राष्ट्रीय उद्यान' को जनरल वफर जोन मण्डल के लघु औषधित करते हुए अधिसूचित किया गया था, यथावत दहोन के कुछ विवरणों में ऑशिक संशोधन के उपरात अनुसूची के प्रस्तुत मध्यस्थित राज्य ने समाप्त किये जाने के फलस्वरूप बफर जोन वन मण्डल के अनुसूचित राज्य के अस्तित्व में अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2 दिनांक 26 फरवरी 1977, 14-46-92-दस-दो दिनांक 10 जनवरी 1995 एवं कोंडन 6 के अनुसार विनियोगित होते हैं।

दिनांक 14-45-92-दस-दो दिनांक 4 जुलाई 1995 उपरोक्तानुसार मात्र संशोधित/पुनर्नियोगित राज्य के अन्य अधिसूचना के अस्तित्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2 दिनांक 29 सितंबर 1977, 14-46-92-दस-2 दिनांक 26 फरवरी 1977, 14-46-92-दस-दो दिनांक 10 जनवरी 1995 एवं

क्रमांक	निलाई	वन मण्डल का नाम (सुन्दरालय)	संक्रमण का नाम (सुन्दरालय)	चप वन मण्डल का नाम (सुन्दरालय)	परिवेश (सुन्दरालय)	चप वन मण्डल की सीमाओं का विवरण	वन मण्डल की सीमाओं का विवरण
1	मण्डल	कान्चा राष्ट्रीय उद्यान (मण्डल)	9-0	1. यजर (किसली)	1. किसली (किसली)	उत्तर - बफर जोन वन मण्डल के खटिया परिवेश एवं सिङ्गेरा परिवेश की सीमा,	उत्तर - ग्राम नीड्डियारी से, कट्टगीदावर से आने वाला नाला जो कि अरक्षित वन को उत्तर दिशा वनता है कट्टगीदावर तक उत्तरके बावर अरक्षित वन को उत्तर दिशा वनता है और फिर यहिन वाला नाला जब तक कि यह यहिन वाला से मिलता है और फिर यहिन वाला तब तक यह कि यह अरक्षित वन को उत्तर क्रमांक 14-46-92-दस-दो दिनांक 10 जनवरी 1995 की अस्ति- तेप्रता आरक्षित यह नाला पूर्व से परिवेश की ओर की उत्तरी सीमा जूँत कि वह परिवेश राजाड़ अरक्षित यह खाड़ की सीमा से कदला बनाया जूँत कि पात्र मिलती है, तत्परात आरक्षित वन खाड़ राजाड़ परिवेश की उत्तरी सीमा ये तक कि वह परिवेश राजाड़ अरक्षित वन खाड़ राजाड़ जिला से मण्डल की सीमा जूँत कि मनोहरपुर राजस्व ग्राम तक, इसके दबर राजस्व ग्राम मनोहरपुर की परिवेशी एवं उत्तरी सीमाएँ जब तक कि पुनर्आवृत्ति
टिक्की	वल्लभ	कान्चा राष्ट्रीय उद्यान (मण्डल)	9-0	2. कान्चा (कान्चा)	पूर्व - यजर जोन वन मण्डल के गढ़ी परिवेशी सीमा	दक्षिण - याताघाट एवं मण्डल जिलों की उत्तरी जिला सीमा	

(21)

		<p>सीमा वाला घाट व मण्डला से निलंती है इसके बाद अंतिम तोना याताधार एवं मण्डला जब तक किसी राजस्व ग्राम मण्डला जिला से निलंती है इसके बाद किसी एवं भीमड़ोंगरी शक्ति ग्राम कि दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा जब तक अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 727 एवं 728 की उन्नय तीमा से निलंती है इसके बाद अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 727 और 726 की उत्तरी सीमा जब तक किसी एवं भीमड़ोंगरी शक्ति ग्राम से निलंती है इसके बाद किसी एवं पश्चिमी सीमा जब तक की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा जब तक कि अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 678 एवं 679 की उन्नय तीमा से निलंती है इसके बाद अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 678 एवं 677 की पूर्वी सीमा जब तक निम्न नाला से निलंती है इसके बाद याताधार निम्न नाला जब तक अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 684, 670 और 671 की सीमाओं के निम्नग्राम पर निलंता है इसके बाद अंतिम बन कोट्ट और तेजुआ आंखित उन्नय तीमा जब तक अंतिम बन कोट्ट कि बह राजस्व ग्राम का दर्शन देखने वाला नाला जो अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 659 एवं 660 की उन्नय सीमा से मोहगांव राजस्व ग्राम की अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 659 एवं 660 की उन्नय तीमा देखना है से निलंती है इसके बाद याताधार क्रमांक 659 एवं 660 की उन्नय सीमा फिर सुपूर्ण तरी इसके बाद अंतिम बन कोट्ट क्रमांक 656 और 657 की उन्नय सीमा देखने वाला नाला कि बह राजस्व ग्राम के लाय मण्डला जिले के पूर्वी एवं उत्तरी चतुर्थी है।</p>
		<p>परिचय - यकृत जोन बन मण्डल के खाल एवं खटिया परिकेन्द्र की पूर्वी सीमाएँ</p>
		<p>उत्तर - यकृत जोन बन मण्डल के गढ़ी परिकेन्द्र की उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की उन्नय तीमा</p>
2.	हालोन (विहर)	<p>उत्तर - यकृत जोन बन मण्डल के गढ़ी परिकेन्द्र की उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की उन्नय तीमा</p>
3.	मुखरी (मुक्की)	<p>पूर्व - नव्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राजस्व ग्राम के पास उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की उन्नय तीमा</p>
4.	भैतानधाट (गढ़ी)	<p>पूर्व - नव्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राजस्व ग्राम के पास उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की उन्नय तीमा</p>
5.	सूप्तखार (सूप्तखार)	<p>पूर्व - नव्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राजस्व ग्राम के पास उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की उन्नय तीमा</p>
		<p>परिचय - यकृत जोन बन मण्डल के खाल एवं खटिया परिकेन्द्र की पूर्वी सीमा</p>
		<p>पूर्व - बालाधार जिले में छत्तीसगढ़ वनग्राम से प्रारंभ होकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राजस्व की उन्नय तीमाओं (मण्डला एवं कबवा [पूर्व याताधार जिला] जिलों की अंतिम तीमाओं) के दिव्य होकर उत्तर की ओर जाती हुई और दिलासपुर-जवलपुर भारत के लाय मण्डला जिले के शीमांगरी याव चतुर्थी है।</p>
		<p>दर्शन - याताधार भैतानधाट की उन्नय तीमाओं (मण्डला एवं कबवा [पूर्व याताधार जिला] जिलों की उत्तरी सीमा एवं याताधार जिला की पूर्वी सीमा जब तक कि दंडन नदी से निलंती है इसके बाद पूर्व की ओर रंजर नदी वनग्राम मुखरी तक इसके बाद भैतानधाट अंतिम बन खण्ड की दर्शनी सीमा देखने वाला नाला जो कि समनपुर राजस्व ग्राम तक इसके बाद भैतानधाट अंतिम बन खण्ड की दर्शनी सीमा देखने वाली कट लाई जब तक कि नाला मध्यांव ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी सीमा देखने वाले नाले तक भैतानधाट की दर्शन शक्ति तक यही नाला चाढ़ जाती हुई इसके बाद अंतिम बन खण्ड भैतानधाट एवं रायगढ़ परिचय से पूर्व की ओर जाती हुई उन्नय तीमा जब तक वह शाम सुरवाई के पास भैतानधाट कबवा (पूर्व याताधार जिला) के दिव्य होकर उत्तर की ओर जाती हुई मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अंतराञ्चीय परिचय - याताधार ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर याताधार से छठरी जाने</p>

24

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

१८७

卷之三

卷之三

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	कसबा	118.70	179.85	127.70	193.50
5	बड़ियाखेड़ी	92.15	139.60	99.15	150.25

क्र. 15-48-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93, 94(2), 95, 96, 97(1), 98(2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठाहर) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, 'नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला-सीहोर के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम (3), (4), (5) तथा (6) को तत्वान्वयी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाती है :—

क्रमांक	समूह एवं नगर का नाम	प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से निर्धारण मानक दर		प्रति 10 वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर	
		निवासरार्थ	व्यापाररार्थ	निवासरार्थ	व्यापाररार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेजावता	11.75	17.65	12.35	18.55

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ 25-17-08-दस-3.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ. 14-46-92-दस-दो, दिनांक 10 जनवरी 1995 ह्यारा कान्हा टायगर रिजर्व के अन्तर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वनमण्डल एवं अधीनस्थ उपवनमण्डलों के गठन को घोषित करते हुये अधिसूचित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अधीनस्थ उप वनमण्डलों का पुनर्गठन नीचे दर्शाएँ अनुसार तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है। इस पुनर्गठन से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में अधिसूचित क्षेत्रफल एवं सीमाओं में कोई अंतर नहीं आवेगा :—

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	उप वनमंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यवृत्त, जबलपुर (कान्हा) टायगर रिंजव मण्डला).	मण्डला राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन) मुख्यालय	कान्हा उप वनमण्डल मुख्यालय	फेन अभ्यारण्य, उप वनमण्डल मुख्यालय	339.828	1. सूपखार 2. फेन अभ्यारण्य	उत्तरी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं फेन अभ्यारण्य वन कोष्ठ क्र. 509 की उत्तरी सीमा, इसके बाद साजालगान वन ग्राम की उत्तरी सीमा जो कि वन कोष्ठ क्र. 508 (अ) और 507(ब) द्वारा बनती है, इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 507(अ) की उत्तरी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 488 की पूर्वी सीमा तक वन कोष्ठ क्र. 488, 489, 471
	मण्डला	मण्डला	गढ़ी			

वनमंडल की सीमाओं का विवरण

(7) ऐमा—सूपखार परिषेत्र में बफरजोन वन मण्डल के गढ़ी परिषेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं फैन अभ्यारण्य वन कोष्ठ क्र. 509 की उत्तरी सीमा, इसके बाद साजालगान वन ग्राम की उत्तरी सीमा जो कि वन कोष्ठ क्र. 508 (अ) और 507 (ब) द्वारा बनती है, इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 507 (अ) की उत्तरी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 488 की पूर्वी सीमा, इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 488, 489, 471

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						की उत्तर सीमा, 492 की उत्तर पश्चिम सीमा एवं 493, 494 की उत्तरी सीमा फिर वन कोष्ठ क्र. 494 की पश्चिमी सीमा इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा.
						पूर्वी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफर जोन वन मण्डल की पश्चिमी सीमा रेखा तथा फेन अभ्यारण्य के वन कोष्ठ क्र. 449, 492(अ), 510(अ), 509(अ) की पूर्वी सीमा जो मण्डला एवं कवर्धा ज़िले की अन्तर सीमा रेखा बनाती है।
						दक्षिणी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वनमण्डल के मलाजखण्ड उप वनमण्डल के समनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा, फेन अभ्यारण्य की वन कोष्ठ क्र. 523, 520, 519, 517 एवं 516 जो दक्षिणी सीमा एवं वन कोष्ठ क्र. 514 की पश्चिमी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 445, 446, 447, 450(अ) एवं 449 की दक्षिणी सीमा जहां तक कि वन कोष्ठ क्र. 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है।
						पश्चिमी सीमा—प्रस्तावित हालोन उपवनमण्डल के ऐसानधाट परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा सूपखार परिक्षेत्र के पश्चिमी सीमा रेखा से मिलती है, शेष बफर जोन वनमण्डल के समनापुर परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा एवं फेन अभ्यारण्य के वन कोष्ठ क्र. 499, 521, 523 की पश्चिमी सीमा रेखा।
बंजर उप वन मण्डल	406.548	1. किसली 2. कान्हा				उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के सिंझौरा उप वनमण्डल के सिंझौरा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा।
मुख्यालय किसली		3. सरही				पूर्वी सीमा—बफर जोन वन मण्डल की पश्चिमी सीमा रेखा, इसके बाद हालोन उप वनमण्डल की पश्चिमी सीमा रेखा।
हालोन उप वन मण्डल	306.120	1. मुवकी 2. ऐसानधाट				दक्षिणी सीमा—प्रस्तावित हालोन उप वन मण्डल के मुवकी परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा।
मुख्यालय मुवकी						पश्चिमी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के सिंझौरा उप वन मण्डल के खटिया परिक्षेत्र की पूर्वी रेखा।
						उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं प्रस्तावित बंजर उप वनमण्डल के किसली एवं कान्हा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा।
						पूर्वी सीमा—प्रस्तावित फेन उप वन मण्डल की पश्चिमी सीमा रेखा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

दक्षिणी सीमा—बफर जोन वन मंडल के मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा एवं समनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा।

पश्चिमी सीमा—बफर जोन वन मंडल के सिङ्गौरा उप वन मंडल के खटिया परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा परिक्षेत्र की उत्तरी-पूर्वी सीमा रेखा।

योग . . . 1052.496

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्न पुरवार, सचिव,

वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति कान्हा टायगर रिजार्व, मण्डला (म.प्र.)

अनु. क्र.	वर्तमान स्थिति					प्रस्तावित स्थिति				
	वन मंडल का नाम	सम्मिलित वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	वन मंडल का नाम	सम्मिलित वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	517.252 Sq.K.M.	1. किसली 2. कान्हा 3. फेन- आभ्यारण	138.955 267.592 110.704	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	406.548 राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	1. किसली 2. कान्हा 3. सरहो	138.955 121.668 145.925
	हालोन	535.244 Sq.K.M.	1. सूपखार 2. ऐसानघाट 3. मुक्की	229.124 173.119 133.001		फेन	339.828 हालोन	1. फेन अभ्यारण 2. सूपखार 2. युक्की	110.704 229.124 173.119 133.001	
								योग . . .	1052.496	

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ-25-17-08-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-17-08-दस-3, दिनांक 13 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्न पुरवार, सचिव,

Bhopal, the 13th January 2009

No. F. 75-17-08-X-3.—Vide this department notification No. F. 14-46-92-Ten-Two, dated 10th January 1995, the constitution of the Kanha National Park Division and sub-divisions therein under the Kanha Tiger Reserve was declared and notified. The reorganization of the sub-divisions under the Kanha National Park is hereby notified with immediate effect. This reorganization will have no effect on the area and boundaries of the Kanha National Park notified earlier :—

Name of Circle	Name of District	Name of Division (Head-quarters)	Name of Sub-division (Head-quarters)	Area (In Sq.k.m.)	Name and Headquarters of Forest Ranges included	Description of Sub-divisional Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Central Circle, Jabalpur (Kanha Tiger Reserve, (Mandla)	Mandla	Kanha National Park (Core Zone) (Mandla)	Phen Wildlife Sanctuary (Garhi)	339.828	1. Supkhar 2. Phen WLS	Northern Boundary —The southern boundary of the Garhi range of the Buffer Zone in the Supkhar range and the northern boundary of the compartment No. 509 of the Phen WLS, thereafter the northern boundary of the Sajalagan forest village formed by the compartment Nos. 508(A) & 507(B). Then the northern boundary of the compartment No. 507(A), and the eastern boundary of compartment No. 488 thereafter the northern boundary of the compartment Nos. 488, 489, 471 the north-western boundary of the compartment No. 492 and the northern boundary of the compartment Nos. 493, 494, then the western boundary of the compartment No. 494, thereafter the northern boundaries of the compartment Nos. 500 & 499.

Eastern Boundary—The western boundary of the Buffer Zone division in the Supkhar range and the eastern boundaries of the compartment Nos. 449, 492(A), 510(A), 509(A) of the Phen Wildlife Sanctuary that forms interdistrict boundary of the Mandla & Kawardha districts.

Southern Boundary—The northern boundary of the Samnapur range of the Malanjkhanda sub-division under the Buffer Zone division in the Supkhar range. The southern boundary of the compartment Nos. 523, 520, 519, 517 & 516, and the western boundary of the compartment No. 514, then the southern boundary of the compartment Nos. 445, 446, 447, 450(A) and 449 upto where it joins the eastern boundary of compartment No. 449.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

						Western Boundary —The eastern boundary of the Bhaisanghat range under the proposed Halon sub-division, which meets the western boundary of Supkhar range, the eastern boundary of the Samnapur range in the rest of the Buffer Zone division and the western boundaries of the compartment Nos. 499, 521, 523.
Banjar	406.548	Sub-division	1. Kisli	2. Kanha	3. Sarhi	Northern Boundary —The southern boundary of the Sijhora range of the Sijhora sub-division under the Buffer Zone division.
		Kisli				Eastern Boundary —The western boundary of the Buffer Zone division, thereafter the western boundary of the Halon sub-division.
Halon	306.120	Sub-division	1. Mukki	2. Bhaisanghat.		Southern Boundary —The northern boundary of the Mukki range of the proposed Halon sub-division.
		Mukki				Western Boundary —The eastern boundary of the Khatia forest range of the Sijhora Sub-division of the Buffer Zone Division.
Total ..	<u>1052.496</u>					Northern Boundary —The southern boundary of the Gathi forest range of the Buffer Zone Division and the southern boundaries of the Kisli and Kanha ranges under the proposed Banjar Sub-division.
						Eastern Boundary —The western boundary of the proposed Phen sub-division.
						Southern Boundary —The northern boundary of the Khapa and Samnapur forest ranges of the Malanjkhand Sub-division in the Buffer Zone Division.
						Western Boundary —The southern boundary of the Khatia range of the Sijhora sub-division and the north-eastern boundary of the Khapa range of the Malanjkhand sub-division in the Buffer Zone division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Dy. Secy.

Present and proposed Situation Kanha Tiger Reserve, Mandla (M.P.)

Present Situation					Proposed Situation					
S.No.	Name of Division	Name of included sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)	Name of Division	Name of included sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	517.252 Sq.Km.	1. Kisli 2. Kanha 3. Phen Wildlife Sanctuary.	138.955 267.593 110.704	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	406.548	1. Kisli 2. Kanha 3. Sarhi	138.955 121.668 145.925
		Halon	535.244 Sq.Km.	1. Supkhar 2. Bhaisanghat 3. Mukki	229.124 173.119 133.001		Phen	339.828	1. Phen WLS 2. Supkhar Haloni	110.704 229.124 173.119 133.001
									Total ..	1052.496

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्र. 01-एस.सी. 1-09.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कड़िका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, उमाकांत उमराव, कलेक्टर, जिला छतरपुर वर्ष 2009 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाइ गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ—

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	14-1-2009	बुधवार	मकर संक्रांति	
2	18-9-2009	शुक्रवार	पितृमोक्ष अमावस्या	
3	19-10-2009	सोमवार	भाईदूज (दीपावली)	

उमाकांत उमराव, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. 312-स.व.लि.-2008.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गुलशन बामरा, कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2009 में जिला बालाघाट जिला के लिए निर्णाकित तिथियों को

स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश दिनांक	दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकर संक्रांति	14-01-2009	बुधवार
2	नारायाद	21-08-2009	शुक्रवार
3	भाईदूज	19-10-2009	सोमवार

यह अवकाश कोषालय/बैंकों पर लागू नहीं होगा।

गुलशन बामरा, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय), जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2009

क्र. फ-नि.सा.सा.वि.-2009-62-संशोधित अधिसूचना-क्र. 63-मण्डी निर्वाचन-2006.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, कर्तिल खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), बुरहानपुर, कृषि उपज मण्डी सभिति, बुरहानपुर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करती हूँ :—

क्रमांक	नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दिनेश पंवार, खण्डवा।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	11(1) (ज)
2	श्रीमती बुझमबाई जयराम, बावाड़ा।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	11(1) (इ)
3	श्री मोहन पुण्डलिक पाटील, निवारी टिटांवा।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक नर्यादिति, खण्डवा।	11(1) (झ)

कर्तिल खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)